न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3640–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–2015 पारित द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर, प्र. क्र.03/स्व.निग./2014–15.

.....

1–श्रीमती कुन्दाबाई पति केशवराव भोमरे
2–श्रीमती कमलाबाई पति गोपालराव भोमरे
3–श्रीमती शीलाबाई पति रामराव भोमरे
4–गोपालराव पिता विश्वासराव भोमरे
निवासीयान ग्राम रिंजलाय तहसील व जिला इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–म.प्र.शासन तर्फे अनुविभागीय अधिकारी,
राऊ अनुभाग तहसील व जिला इंदौर
2–लीलाबाई पति माधव राव काले,
मृतक वारिसान तथाकथित दत्तक पुत्र राजेंन्द्र माधवराव काले,
निवासी 54 वासुदेव नगर इंदौर

..... अनावेदक

.....

श्री ओ.पी.शर्मा एवं श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषकगण–आवेदकगण
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, पेनल अभिभाषक–अनावेदक क्र.1 शासन
श्री के.के.द्विवेदी एवं श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषकगण– अनावेदक क्र.2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/3/2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रिंजलाय अनुभाग राऊ तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 280/2 रकबा 1.518 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 2 लीलाबाई के द्वारा आवेदकगण को अधबटाई पर प्रदान की गई थी जिसके आधार पर आवेदकगण का उक्त भूमि पर कई वर्षो तक आधिपत्य रहा, तत्पश्चात् आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि पर नामान्तरण किये जाने हेतु संहिता की धारा 168, 169, 190, 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–6/1991–92 दर्ज कर प्रकरण में विधिवत् समस्त जॉच उपरांत दिनांक 14–02–1992 को आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–2–1992 से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग राऊ जिला इंदौर के द्वारा एक प्रतिवेदन कलेक्टर जिला इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला इंदौर के द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 03/स्वमेव निगरानी/2014–15 पर दर्ज कर दिनांक 31–10–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–1992 निरस्त किया गया । कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2015 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिये निगरानी मेमों उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ही पारित किया गया है । अतः विचारण न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश 23 वर्ष पश्चात् स्वमेव निगरानी में अपास्त नहीं किया जा सकता है ।

(2) अनावेदक कमांक 2 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को आवेदकगण को अधबटाई(पट्टे) पर प्रदान की गई थी, जिसके आधार पर आवेदकगण प्रश्नाधीन

भूमि पर कई वर्षो तक उपकृषक की हैसियत से कृषि कार्य करते रहे एवं उनका ही आधिपत्य रहा है ।

(3) तहसील न्यायालय में लीलाबाई द्वारा उपस्थित होकर उक्त भूमि पर आवेदकगण को अधबटाई (पट्टे) पर प्रदान की गई होना स्वीकार किया है । अनावेदक कमांक 2 लीलाबाई ने अपने कथन में यह भी स्वीका किया है कि उसके द्वारा अधबटाई का हिस्सा प्राप्त कर लिया गया है एवं अपने स्थान पर आवेदकगण के नामों का नामान्तरण करने में अपनी पूर्ण सहमति होना प्रकट किया है ।

(4) आवेदकगण के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में प्रथमतः मौरूसी कृषक के एवं तत्पश्चात् संहिता की धारा 190 के अंतर्गत भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हुये है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में गंभीर वैधानिक भूल की है कि लीलाबाई के मौजूद रहते हुये 23 वर्षो में उसने कोई चुनौती नहीं दी है। उपरोक्त आदेश को चुनौती देने का आधार मात्र अपील था, जो कि लीलाबाई के द्वारा नहीं की गई थी, ऐसी स्थिति में स्वमेव निगरानी में पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है ।

(6) आवेदकगण को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने के कारण ही उसका नाम तहसीलदार द्वारा राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया था । आवेदकगण के द्वारा विधिवत् संहिता की धारा 190 के नियमों का पालन किया गया है । इस आधार पर कलेक्टर के द्वारा विधि की गंभीर भूल कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्र.1 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेकर आवेदकगण के द्वारा अवैधानिक रूप से अपने पक्ष में कराये गये नामान्तरण को निरस्त किया गया है, जो न्यायसंगत कार्यवाही होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ अनावेदक क्र.2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जानकारी के बाद स्वमेव निगरानी की कार्यवाही की जा सकती है ।

प्रश्नाधीन भूमि के अनावेदक कमांक 2 भूमिस्वामी है । अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि बटाई पर नहीं दी गई है, इसका कोई प्रमाण भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अनावेदक कमांक 2 द्वारा कोई सहमति दी गई है । उनके द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ प्रकरण में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1973–74 से वर्ष 1990–91 तक लीलाबाई पति माधव राव मराठा के नाम दर्ज रही है । वर्ष 1991 में आवेदिका कुन्दाबाई के द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 169 एवं 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र देकर बताया गया कि वह लगातार पिछले 4 वर्षो से आधिपत्य उपकृषक की हैसियत से उक्त भूमि के आधिपत्य में है, अतः उसे मौरूसी कृषक के हक प्राप्त हो गये हैं । तहसीलदार के द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर मूल भूमिस्वामी लीलाबाई को कथन के लिये आमंत्रित किया गया। लीलाबाई के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई कि पिछले 3–4 वर्षो से आवेदिका को उसके द्वारा भूमि जोतने के लिये दी गई है । उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार के द्वारा अन्य स्वतंत्र गवाह पटवारी प्रतिवेदन तथा मौका पंचनामा से भी की जाकर विधिवत् कार्यवाही पूर्ण कर वर्ष 1991 में मौरूसी कृषक के हक प्राप्त होने के आधार पर उक्त भूमि पर आवेदिका का नाम दर्ज किया गया । उक्त कार्यवाही लगभग 23 वर्ष के उपरांत वर्ष 2015 में आवेदिका लीलाबाई की ओर से कथित आम मुख्तार राजेश काले के शिकायत किये जाने पर कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेकर तहसीलदार के नामान्तरण आदेश को निरस्त किया है । प्रकरण में आये तथ्यों से यह स्पष्ट है कि लीलाबाई की मृत्यु दिनांक 15–07–2015 को हुई है । स्पष्ट है कि अपने जीवनकाल में लीलाबाई ने तहसीलदार की कार्यवाही को कोई चुनोती नहीं दी है तथा उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व कथित मुख्तारआम जो कि अपने को दत्तक पुत्र भी बताता है, इस संबंध में शिकायत की गई, परन्तु कलेक्टर के द्वारा लीलाबाई के जिन्दा रहते उसके ब्यान लेने व उसका पक्ष जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया । यह भी निर्विवादित है कि अनावेदक

के द्वारा किसी भी स्तर पर ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है कि वह मूल भूमिस्वामी लीलाबाई का किस तरह से वारिस है । स्पष्ट है कि कलेक्टर के समक्ष ऐसा कोई पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं था, जिसके आधार पर प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया जावे ।

7/ मोहम्मद कवी विरूद्ध फतमाबाई (1998 :1: एम पी वीकली नोट्स) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि –

''धारा 50 स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति – युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जा सकती है– मात्र एक वर्ष भी अयुक्तियुक्त हो सकता है ।''

रविनारायण वि. म0प्र0राज्य तथा अन्य (2000 राजस्व निर्णय 161) में माननीय उच्च न्यायालय ने 6 वर्ष पश्चात् स्वमेव निगरानी की शक्ति का प्रयोग विलम्बित होना माना है । हमीरसिंह वि. म0प्र0राज्य तथा अन्य (1996 रा.नि.80) में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अंकित किया है कि –

''इस मामले में 6 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् स्वप्रेरणा का प्रयोग अत्यधिक विलंबित है । इस याचिका में हस्तक्षेप के लिये केवल मात्र यही एक कारण पर्याप्त है । रिट याचिका मंजूर की जाती है ।''

जंगबहादुरसिंह वि. म0प्र0राज्य तथा एक अन्य (2007 रा.नि. 71) में राजस्व मण्डल के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा 3 वर्ष पश्चात् पट्टा निरस्ती की कार्यवाही को विलंबित होना निर्धारित किया है । ढेलाबाई तथा अन्य वि.म0प्र0राज्य (1996 रा.नि.286) में राजस्व मण्डल ने 9 वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा की कार्यवाही को अत्यधिक विलंबित होना माना है ।

रणवीर सिंह तथा अन्य वि. म0प्र0राज्य (2010 रा.नि.409) में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने आदेश की अवैधता या अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही 180 दिवस के भीतर किये जाना निर्धारित किया है ।

8/ इस प्रकरण में कलेक्टर के द्वारा स्वमेव निगरानी की कार्यवाही 23 वर्ष के विलम्ब से की गई है तथा उक्त न्यायदृष्टांतों के अन्तर्गत इस आधार पर भी कलेक्टर की कार्यवाही अत्यधिक विलम्बित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला इंदौर का आदेश दिनांक 31–10–2015 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है । तद्नुसार राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर